

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून- 248001

फोन न० (0135) - 2713760, 2713551
फैक्स न० (0135) -2713724

संख्या: 752 /XXV-08/2018

देहरादून: दिनांक 02 मई, 2018.

सेवा में,

MOST-URGENT

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चमोली।

विषय:- जनपद चमोली की 05-थराली(अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर के नियुक्ति -आयोग का अनुमोदन।


महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33 दिनांक 27 अप्रैल, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 05-थराली(अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर के नियुक्ति प्रस्ताव आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये थे

2. उक्त सन्दर्भ में भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-434/UK-LA/2018 दिनांक 01मई, 2018 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 05-थराली(अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर के नियुक्ति प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान करते हुए तद्विषयक अधिसूचना जारी की गई है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,



(सौजन्या)
सचिव एवं

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पू० संख्या-752/xxv-08/2018, तददिनांक

प्रतिलिपि अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं फोटोलिथो प्रेस रुडकी को आयोग की अधिसूचना अधिसूचना संख्या-434/UK-LA/2018 दिनांक 01मई, 2018 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति संलग्न सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचनाओं को उत्तराखण्ड राज्य के दिनांक 01 मई, 2018 के असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए प्रकाशति गजट की 30-30 प्रतिशं शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: -यथोपरि।


(सौजन्या)
सचिव एवं

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Re
01/05/18

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

Dated: 01st May, 2018
11 Vaisakha, 1940 (Saka)

NOTIFICATION


No. 434/UKD/-LA/2018:- In exercise of the powers conferred by sub Section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby, makes the following amendments in its Notification No. 434/UKD-LA/2017, dated 6th January 2017, as amended from time to time, relating to the appointment of Assistant Returning officer of Assembly Constituency in the State of Uttarakhand, as:-

In the table appended to the said Notification against Column (1) for the Assembly Constituency, the following entries in place of the existing entries in Column (2) of the said table shall be substituted:-

Table

Sl No. and name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
05-Tharali (SC)	Block Development Officer, Gairsain.
	Tehsildaar, Gairsain

By Order



(Rahul Sharma)
Secretary
Election Commission of India

TO BE PUBLISHED IN AN
EXTRAORDINARY ISSUE OF
UTTARAKHAND GOVERNMENT
GAZETTE IMMEDIATELY

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

Dated: 01st May, 2018
11 Vaisakha, 1940 (Saka)

NOTIFICATION


No. 434/UKD/-LA/2018:- In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby, makes the following amendments in its Notification No. 434/UKD-LA/2017, dated 6th January 2017, as amended from time to time, relating to the appointment of Returning officer of Assembly Constituency in the State of Uttarakhand, as:-

In the table appended to the said Notification against Column (1) for the Assembly Constituency, the following entries in place of the existing entries in Column (2) of the said table shall be substituted:-

Table

Sl No. and name of Assembly Constituency	Returning Officers
05-Tharali (SC)	Sub Divisional Magistrate, Chamoli

By Order


(Rahul Sharma)
Secretary
Election Commission of India

उत्तराखण्ड राज्य क शासकीय
राजपत्र के असाधारण अंक में 3
मई 2018 को प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 1 मई, 2018


11 बैशाख, 1940 (शक)

434/भा0नि0आ0/क्षे0/उत्तरा0-वि0स0/1/2018(उप)(1) :- लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड राज्य के विधान सभा क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसरों की सहायता के हेतु सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से सम्बन्धित समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 6 जनवरी 2017 की अधिसूचना सं0 434/उत्तरा0-वि0 स0/2017 में निम्न लिखित संशोधन करता है, अर्थात:

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामने दर्शाई गई स्तम्भ (2) की विद्यमान पृविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पृविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी:-

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	सहायक रिटर्निंग अधिकारी का नाम
05- थराली (अ0जा0)	खण्ड विकास अधिकारी, गैरसैण
	तहसीलदार, गैरसैण

आदेश से,



राहुल शर्मा
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 1 मई, 2018

11 बैशाख, 1940 (शक)

434/भा0नि0आ0/क्षे0/उत्तरा0-वि0स0/1/2018(उप)/ :- लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड राज्य के विधान सभा क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से सम्बन्धित समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 6 जनवरी 2017 की अधिसूचना सं0 434/उत्तरा0-वि0स0/2017 में निम्न लिखित संशोधन करता है, अर्थात:

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामने दर्शाई गई स्तम्भ (2) की विद्यमान पृविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पृविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी:-

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	रिटर्निंग अधिकारी का नाम
05- थराली (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, चमोली

आदेश से,

21/5

राहुल शर्मा

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग